21/10/2020	प्रार्थी एवं उसके वकील पत्नी उपस्थित वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि प्रकरण में पालना हेतु उपस्थित हैं कि प्रकरण में पालना हेतु उपस्थित है अतः कोई आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः निष्पादन पाठ पक्षकार पालना होने से खारिज किया जाता है, प्रार्थी, वकील मुगाट धोकर, नकल ले जावे व संबंधित दफ्तर को।	पालना हो चुकी है अतः नकल पालना चाहते (मुगालखिराज)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2021.01.06 11:13:01 IST
Reason: SelfAttested